प्रपत्र– 23 1.6

परियोजना का नाम–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मजगाँव
तहसील का नाम काण्डा, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कालेई देवी – रणकोट मोटर मार्ग के किमी 2 से उदियार अजगाँव परियोजना के चौडीकरण, मोटर मार्ग का निर्माण, निर्माण हेतु (00 हे0 आरक्षित वनभूमि 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि 00 हे0 वन पंचायत भूमि 00 हे0) अर्थात कुल 1.050 हे0 वनभूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मजगाँव द्वारा दिनांक 06-11-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मजगाँव के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह0/– [signature] 06-11-15
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मजगाँव
विकासखण्ड कपकोट (बागेश्वर)

[signature]
ह0/– ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मजगाँव
वि0 ख0 कपकोट (बागेश्वर)

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम– कमेड़ीदेवी–स्यालकोट मोटरमार्ग के किमी० 2 से संधरा–मजगाँव–चौनाला मोटर–मार्ग का निर्माण।

दिनांक 6-11-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1-	कु० [illegible] रावत [illegible]	Balwant 06/11/2015
2.	जगदीश सिंह S/o स्व० [illegible] सिंह	[illegible]
3.	देवेन्द्र सिंह S/o श्री [illegible] सिंह	[illegible]
4.	दर्शन सिंह S/o प्रतापसिंह रावत	दर्शन सिंह
5	हीरा सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	हीरा सिंह
6-	भावना देवी / [illegible] सिंह	भावना [illegible]
7.	[illegible] सिंह रावत X हरीश सिंह रावत	[illegible]
8.	भीमसिंह रावत	भीमसिंह रावत
9.	हीरा सिंह / [illegible] सिंह	हीरा सिंह
10.	[illegible]	[illegible]
(11)	[illegible] सिंह / [illegible] सिंह [illegible]	[illegible] सिंह गौड़ [illegible]
12.	[illegible] देवी [illegible]	
13.	प्रतापसिंह रावत S/o [illegible] सिंह – [illegible]	
14.	नारायण सिंह S/o स्व० श्री लक्ष्मण सिंह [illegible] – – –	[illegible]
15.	त्रिलोक सिंह रावत S/o स्व० [illegible] सिंह – –	[illegible] सिंह
16.	जोगासिंह [illegible] S/o स्व० श्री [illegible] सिंह [illegible]	Joga Singh
17.	जीत सिंह S/o स्व० श्री [illegible] सिंह रावत – –	जीत सिंह

2.24.1

वन पंचायत मजगाँव की बैठक कार्यवाही

दिनांक 06/11/15 को वन पंचायत मजगाँव की बैठक हुई जिसमें कपकोट-लिलोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा मजगाँव नैणाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया कि

मोटर मार्ग के समरेखण मे वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण मे आने वाली वन पंचायत भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने मे किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह०

सरपंच [signature]

सरपंच
वन पंचायत मजगाँव
पो० - मन्तोला, जिला-बागेश्वर

दिनांक :- 06/11/2015

स्थान:- मजगाँव

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरपंच

सरपंच
वन पंचायत मजगाँव
पो० - मन्तोला, जिला-बागेश्वर

उपस्थित सदस्य वन पंचायत :-

1- हरीश चन्द्र सिंह रावत सरपंच [signature]
2- जीतसिंह रावत सदस्य - [signature]
3. भूपेन्द्र सिंह सदस्य - [signature]
4. नारायन सिंह सदस्य - [signature]
5. पार्वती देवी सदस्य - पार्वती देवी
6. दया देवी सदस्य - दया देवी
7. खुशहाल सिंह सदस्य - खुशहाल सिंह
8. आनन्द सिंह सदस्य - आनन्द सिंह
9. चन्द्रा देवी सदस्य - चन्द्रा देवी

2.24.1

वन पंचायत मजगाँव की बैठक कार्यवाही

दिनांक 06/11/15 को वन पंचायत मजगाँव की बैठक हुई जिसमें कमेडीदेवी-सिमार मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रैगाधरा मजगाँव-मैनाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया कि -

मोटर मार्ग के समरेखण में वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0

सरपंच Rawat

सरपंच
वन पंचायत मजगाँव
पो० - [illegible], [illegible]

दिनांक – 06/11/2015

स्थान– मजगाँव

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सरपंच Rawat

सरपंच
वन पंचायत मजगाँव
पो० - [illegible], [illegible]

उपस्थित सदस्य वन पंचायत :–

1- हरीश चन्द्र सिंह रावत सरपंच [signature]
2- जीतसिंह रावत सदस्य - [signature]
3. भूपेन्द्र सिंह सदस्य - [signature]
4. नारायण सिंह सदस्य - [signature]
5. पार्वती देवी सदस्य - पार्वती देवी
6. दया देवी सदस्य - दया देवी
7. खुशहाल सिंह सदस्य - खुशहाल सिंह
8. आनन्द सिंह सदस्य - आनन्द सिंह
9. [illegible] देवी सदस्य - [illegible] देवी

प्रपत्र– 23

परियोजना का नामः–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– चौनाला
तहसील का नाम– काण्डा, जिला– बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कमेड़ी, डौ-रवाकोट मोटर मार्ग के किमी० ... से चौनाला मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (00 हे0 आरक्षित वनभूमि 1.050 हे0 सिविल सोयम भूमि .... हे0 वन पंचायत भूमि 00 हे0) अर्थात कुल 1.050 हे0 वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौनाला द्वारा दिनांक 2-11-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौनाला के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत चौनाला
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम:– श्रीमती देवी-रुयाकोट मो०मार्ग के कि०मी० 2.00 से रैंसधरा-मजगाँव-चौकला स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 02-11-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चौकला

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	नन्द सिंह	Chandan mehra
2	दरपान सिंह	[illegible]
3	विजय पाल	[illegible]
4	पदम सिंह	Padam Singh
5	[illegible] देवी	[illegible] देवी
6	लक्ष्मण सिंह	[illegible]
7	[illegible] सिंह	Nand
8	महेश सिंह	Mehar Singh
9	केदार सिंह	केदार सिंह
10	दरपान सिंह	दरपान सिंह
11	रघुनी देवी	रघुनी देवी
		ग्रा० प्र० [signature] सचिव ग्राम पंचायत चौकला विकास खण्ड-कपकोट जिला-बागेश्वर

उपस्थित दिनांक 2-11-15

प्रधान ग्राम पंचायत चौकला [illegible]

पुष्पा देवी
ग्राम पंचायत [illegible] पो० कपकोट [illegible] विकासखण्ड-कपकोट जिला-बागेश्वर
पुष्पादेवी

2.24.1

वन पंचायत चौनाला की बैठक कार्यवाही

दिनांक 30.10.2015 की वन पंचायत चौनाला की बैठक हुई जिसमें कमेडी देवी ... से रंगथरा - मजगांव - चौनाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है।

मोटर मार्ग के समरेखण मे वन पंचायत की भूमि आ रही है जिसमें उक्त सम्बन्ध में ग्रामवासियो एव वन पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गयी। सर्व सम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि मोटर मार्ग का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, अतः मोटर मार्ग निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया तथा सरपंच महोदय को अधिकृत किया गया कि उक्त प्रस्ताव की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को कार्यवाही हेतु भेजा जाय।

ह0 Padam Singh
सरपंच

दिनांक :- 30/10/2015
स्थानः- चौनाला

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, महोदय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपस्थित सदस्य वन पंचायत
दुर्गा देवी
नन्दी देवी
पारवती देवी
दिवान सिंह

Padam Singh
सरपंच

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम – [illegible] देवी–स्यालकोट मोटरमार्ग के कि०मी० 2 से संघर–मजगाँव–चौकाल्या मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, [illegible]

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, [illegible]

उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] – स्यालकोट मोटर मार्ग कि०मी० 2 से संघर–मजगाँव–चौकाल्या मोटर ([illegible] है० आरक्षित वन भूमि 1.050 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि [illegible] है० वन भूमि) का वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.050 है० [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील [illegible]) की दिनांक 23/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक [illegible] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] अध्यक्ष

श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य/सचिव

श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य

श्री [illegible] बी०डी०सी० क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि [illegible] – स्यालकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से संघर–मजगाँव–चौकाल्या मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना हेतु 1.050 है० वन भूमि, लो० नि० वि० [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 1.050 हे० वन भूमि [illegible] एजेंसी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कपकोट
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– कोटेश्वरी–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 2 से साथरा–मजगाँव–चौनाला मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, काण्डा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, काण्डा

उपखण्ड काण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत साथरा–मजगाँव–चौनाला मोटर मार्ग में (–.00 है0 आरक्षित वन भूमि 1.050 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.... है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.050 है0 ; वन – भूमि) का लो0 नि0 वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील काण्डा) की दिनांक 23/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

23/11/15

1– श्रीमती रेखा कोहली ––उपजिलाधिकारी –––– अध्यक्ष

श्री [illegible] ––उप प्रभागीय वनाधिकारी –––– सदस्य

श्री [illegible] ––सहायक समाज कल्याण अधिकारी –––– सदस्य / सचिव

श्रीमती [illegible] देवी ––बी0डी0सी0 क्षेत्र –––– सदस्य

ग्राम पंचायत–चौनाला वि0ख0–कपकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कोटेश्वरी – स्याकोट मोटर मार्ग के किमी 2 से साथरा – मजगाँव – चौनाला मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 1.050 है0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 कपकोट

लो0 नि0 वि0 कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

... के सर्वसम्मति से ग्राम ... [illegible] ... के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 1.050 है0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को हस्तांतरित / सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ...... काण्डा
जनपद ...... बागेश्वर

[illegible stamp]

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... बागेश्वर ...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ...... काण्डा
जनपद ...... बागेश्वर

सहायक [illegible] अधिकारी
[illegible]
जनपद-बागेश्वर

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम – [illegible] निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, [illegible]

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, [illegible]

उपखण्ड [illegible] परिक्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] ([illegible]) है0 आरक्षित वन भूमि [illegible] है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि [illegible] है0 [illegible] है0 वन भूमि) का वन पंचायत भूमि अर्थात कुल [illegible] है0 [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील [illegible]) की दिनांक 23/11/[illegible] को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक [illegible] उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में [illegible] में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में [illegible] है।

श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] अध्यक्ष

श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी [illegible] सदस्य / सचिव

श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य

श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible] सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि [illegible] परियोजना हेतु [illegible] है0 वन भूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त सार्वजनिक उपयोग भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं [illegible] नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड [illegible] परियोजना के अन्तर्गत [illegible] परियोजना के निर्माण हेतु 1.050 [illegible] सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर हेतु की गयी [illegible] उपयोगकर्ता एजेन्सी को अग्रसारित [illegible] प्रस्तावित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील [illegible]
जनपद बागेश्वर

[illegible]
जनपद-बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील [illegible]
जनपद बागेश्वर

महाप्रबन्धक समाज कल्याण [illegible]
[illegible]
जनपद-बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में कमेडी–मन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर में कमेडी–मन्तोला–स्याकोट मोटर मार्ग के किमी0 2 से रंगधरा–मजगॉव–चौनाला मोटर मार्ग (2.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु **1.050 है0** वन भूमि **निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट** प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति **बागेश्वर** तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Form-1

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO.............................. *Dated* 29/12/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.050** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km) in distt Bageshwer** district falls within It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.050** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers**.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.......**Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.**
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached.**

Enclosed- as above

Dated- 29/12/2015

जिलाधिकारी

बागेश्वर

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwer

NO.......................... *Dated*..25/12/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No-11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified **1.050** hectares of forest and proposed to be diverted in favor of **Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km).**

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.050** hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure........to annexure.......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: **YES**
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any , having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Majgaun/Chaunal** Village (s) is enclosed as annexure........
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities. Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

जिलाधिकारी

बागेश्वर

Bhupal Singh Manral

District Collector

Bageshwar

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district,constuted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy commissioner, Bageshwar on date 29-12-2015 at time 3:00pm at Bageshwar in which application claiming rights in **Majgaun/Chaunal** area measuring **1.050** hect for the Construction of **Construction of Kameridevi-Bantola-Syakot motor road (2.00km)** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

जिलाधिकारी
बागेश्वर

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committe

Place: Bageshwar

Dated: 29.12.2015